उद्योग मन्त्री द्वारा लगाए इस प्रकार के किसी आरोप विशेष की जानकारी नहीं है। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में देश के विभिन्न भागों में उद्योगों का संतुलित विकास करने के महत्व पर बल दिया गया है तथा नए औद्योगिक कारखानों को लाइसेंस देते समय सरकार इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखती है।

Small Scale Industries

1563. Shri Jedhe: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the definition of small scale Industries has been modified;

(b) how far this change will effect the large scale and medium scale industries; and

(c) the reasons for changing the limitations in capital of the Small Scale Industries in support of getting help from the Central Government?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

12.25 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

OBJECTIONABLE REFERENCES IN A PUBLICATION OF GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"जम्मू तथा काश्मीर सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित पुस्तक "हमारी कहानी" भाग पांचवां, सन् 1966 में शीर्षक "नया काश्मीर" वाला अध्याय जिस में भारत के संविधान तथा प्रादेशिक अखण्डता को चुनौती दी गई है।"

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): Sir, I have carefully gone through the chapter on 'Naya Kashmir' referred to in the Calling-Attention Notice. I had enquiries made and I was told that certain portions on page 124 of the Hindi Book were considered as offending against the Constitution and the sovereignty of India. The reference to foreign relations and defence of the State on page 124 occurs in the draft Constitution prepared by the National Conference following the appointment of a Constitutional Commission by the Maharaja of Jammu and Kashmir in 1943. It is obvious that this draft was prepared in a very different context. The chapter gives a long historical account of the National Conference movement in Kashmir, and reproduces a part of a document prepared very much before Independence.

The chapter was originally written as a part of the text book prepared in 1948 when the movement and deliberations of the National Conference in the years immediately preceding Independence were fresh in the minds of its workers. Much time has elapsed and many developments have taken place since then. The State Government consider that a good part of its contents has now become obsolete. The present Government of the State informed me some time back that they were keen for a thorough revision of the text books. On the recommendation of a committee appointed recently by the State Government, they have revised the syllabus for all classes from 1st to 8th. The State Government are arranging to have new text books prepared in which care will be taken to ensure that there is no in-accurate or objectionable material "Naya Kashmir" has been deleted from the syllabus from the current academic session.

श्री काशीराम गुप्त : इस किताब के पेज 124 पर जो कुछ लिखा हुआ है, उसकी तरफ सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"दफा नं० 23 : रियासत के गवर्नर के अमूमी निगरानी और जब्त व इक्तिदार की शरायत को मलहूज रखते हुए रियासत की कौमी असैम्बली के इख्तियारात और दाइरा अमल में हस्बे जैल अमूर शामिल होंगे।

(अ) रियासत की तरफ से बीरूनी तालुकात में नुमाइन्दगी करना और दूसरी हकूमतों के साथ मुहादात की तजदीद व तनसीक करना और उन पर अमल करना।

(ब) रियासत की हदूद में तगैरात और तबदीलियों की तसदीक करना।

(ज) रियासत की हिफाजती ताकत को मुनजम करना और उसकी मुसल्लह कुवत की रहनुमाई करना...

अध्यक्ष महोदय : यह तो हुआ। इस सब को आप क्यों पढ़े जाते हैं?

श्री काशीराम गुप्त : इस तरह की और भी बहुत सी बातें इस में हैं। यह सन् 1966 की किताब है। यह किताब आठवीं श्रेणी के लिए प्रेसक्राइब की गई है और यह पांचवां भाग है। इसका सम्पादक तथा प्रकाशक डाइरेक्टोरेट आफ एजूकेशन है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह किताब 1966 में छपी है तब किस आधार पर यह कहा गया कि इसको हटा दिया गया है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के सिलसिले में भीम सिंह नाम के एक विद्यार्थी नेता भी शामिल थे। इसी मामले में वह डी० आई० आर० के तहत पिछले आठ महीने से गिरफ्तार हैं...

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : डी० आई० आर० चल रहा है? गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिये।

श्री काशीराम गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस विद्यार्थी नेता के बारे में जानकारी है और अगर नहीं है तो क्या वह इस बारे में जानकारी लेंगे?

अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं कह दूं कि और जितनी भी किताबें छपी हैं उन सब में सवाल जवाब लिखे हैं लेकिन इस किताब में कोई सवाल नहीं है। इस किताब के अन्त में जाकर यह भी लिख दिया गया है कि वहां पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस कायम हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप जवाब सुनें।

श्री नन्दा : जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे माननीय सदस्य की तसल्ली हो जानी चाहिये। जो कुछ कहा गया है वह उसी कांस्टीट्यूशन का ड्राफ्ट था जोकि...

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : यह छपा कैसे? क्यों इसको छापा गया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मैं... (इंटरप्शंज)

अध्यक्ष महोदय . आर्डर, आर्डर। एक साथ कई मैम्बर खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री नन्दा : वह हिस्टोरिकल टैक्स्ट के तौर पर था। लेकिन उसको निकाल दिया गया है (इंटरप्शंज)

अध्यक्ष महोदय : जब यह 1966 में छपा है तो आप किस आधार पर कहते हैं यह सवाल है।

श्री नन्दा : मेरे पास जो खत आए हैं उनसे पता चलता है कि उसको डिलीट कर दिया गया है इसमें से। नैक्स्ट जो छप रहा है, उसमें यह नहीं छपेगा। (**इंटरप्शंज**)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कैसे काम चल सकता है। चार चार आदमी एक साथ खड़े हो रहे हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : छापने की क्या जरूरत थी।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री मधु लिमये : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Was it deleted after the calling attention notice was given?

Mr. Speaker: That question can be put, but not in this manner.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप चाहते हैं कि इस किताब में से कुछ न पढ़ा जाये और सदन का समय जाया न किया जाये। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस किताब को आज टेबल पर रख दिया जाये, या लाइब्रेरी में रख दिया जाये, मेम्बर लोग उसको देख लें और उसके ऊपर सोमवार को आप सवाल पूछने की या बहस करने की इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर साहब मानते हैं कि इस किताब के सफ़हा 124 पर उस मूवमेंट की हिस्ट्री को ट्रेस किया गया है, जो महाराजा के वक्त में नेशनल कान्फ़रेंस ने चलाई थी और वहां पर आज़ादी से बहुत पहले तैयार किये गये एक डाकुमेंट के एक हिस्से को रिप्रोड्यूस किया गया है। मैं खुद इस बात से इत्तिफ़ाक करता हूं कि चाहे वह हिस्ट्री भी थी, तो भी बच्चों को... (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : क्या बच्चों की ये किताबें दस्तावेज रखने के लिए होती हैं? बच्चों की किताबों में इस प्रकार के दस्तावेज रखने का क्या मतलब है?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। मैं इस बात से इत्तिफ़ाक करता हूं कि चाहे वह चैप्टर हिस्ट्री के तौर पर भी था, तो भी वह बच्चों के दिमाग में एक ज़हर भरता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात से तो मैं इत्तिफ़ाक करता हूं और मैं लाज़िमी तौर पर होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इस बात को दर्याफ्त करें कि जब इस किताब में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो फिर यह इतनी देर क्यों चलती रही। इन सब बातों के बावजूद जो सवाल का जवाब था,... (**व्यवधान**) अगर माननीय सदस्य इस किताब को टेबल पर रखना चाहें, तो बेशक रख दें।* मैं इस की इजाज़त दे दूंगा।—श्री शास्त्री।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर में जो लोग इस प्रकार की किताबों का विरोध करते हैं, उनको डी० आई० आर० के अधीन बन्द किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शास्त्री को बुलाया है। Order, order. It will not go on record.

श्री हुकम चन्द कछवाय : **

---

*Shri Kashi Ram Gupta laid the following book on the Table of the House:

हमारी कहानी, पांचवां भाग, आठवीं श्रेणी के लिए।

[*Placed in Library. See* No. LT-6693/66].

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल यह पूछा गया है कि एक आदमी को इस किस्म की किताबों के खिलाफ़ प्रोटैस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और उस को डी० आई० आर० के मातहत कैद में रखा गया है।

श्री नन्दा : उसको रिहा कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री। (*Interruptions.*) It is a growing practice here among the Members that when I do not call them they begin to speak and go on uninterrupted.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): But what the hon. Minister says is not correct, Sir.

श्री काशीराम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, एक बात का जवाब नहीं आया है। यह 1966 की किताब है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। इस को कब डिलीट किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह अगले एडीशन में नहीं छपेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : जिस किताब की चर्चा अभी मेरे मित्र, श्री काशीराम गुप्त ने की है, वह नेशनल कान्फ़रेंस के 1943 के प्रस्तावों से भरी हुई है, जबकि वह मुस्लिम कान्फरेंस से परिवर्तित होकर नेशनल कान्फ़रेंस बनी ही थी। उन प्रस्तावों में काश्मीर की विदेशों से सम्बन्ध रखने की स्वतन्त्रता, अपनी सेना और करेन्सी आदि-रखने की व्यवस्था आदि का विस्तार से विवरण दिया गया है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की यह केवल एक ही पुस्तक नहीं है। यह मेरे पास चौथी श्रेणी की किताब है, जिस में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान के राजाओं ने आकर जम्मू-काश्मीर पर जबर्दस्ती अधिकार किया। यह पांचवीं श्रेणी की किताब है, जिस में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान के लोग किस प्रकार काश्मीर में आकर अत्याचार करते रहे। यह आठवीं श्रेणी की किताब है, जिस में और इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। इन किताबों को आप टेबल पर रखने की अनुमति दीजिए। इन पुस्तकों में काश्मीर को "मुल्क" कह कर बताया गया है, "प्रदेश" कह कर नहीं बताया गया है। यह केवल एक किताब में नहीं है, बल्कि यह काश्मीर के शिक्षा मंत्रालय का एक विधिवत षड्यंत्र है, जो 1953 से चल रहा है। क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इस के पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं और उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी। मैं आप से इन सब किताबों को टेबल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत देता हूं कि इन को टेबल पर रख दिया जाये।*

श्री नन्दा : यह सवाल एजूकेशन मिनिस्ट्री के सामने रहा है और वह इन टेक्स्ट बुक्स के बारे में काफी देर से देख भाल कर रही है। कई सवाल यहां आए थे और उन का जवाब भी दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने कुछ देर पहले, फरवरी में यह कहा कि ....वह पिछले साल इसी बारे में इन किताबों को रिवाइज करने के लिए, एक कमेटी एपायंट कर चुके थे। पहले भी इनको रिवाइज करने के लिए एक कमेटी थी, जिस ने रिविजन किया, लेकिन वह खातिर-ख्वाह नहीं हुआ। उन्होंने खुद यह कहा कि यह अच्छा नहीं है। इसलिए सारे सिलेबस को रिवाइज कर दिया गया है

*Shri Prakash Vir Shastri laid the following books on the Table of the House:

(1) हमारी कहानी, दूसरा भाग, चौथी श्रेणी के लिए, (2) हमारी कहानी, तीसरा भाग, पांचवीं श्रेणी के लिए, (3) हमारी दुनिया, छठा भाग, आठवीं श्रेणी के लिए, (4) हमारी कहानी, पांचवा भाग, आठवीं श्रेणी के लिए।

[श्री नन्दा]

और नई किताबों के लिए एक आल-इंडिया इन्विटेशन है कि सारे हिन्दुस्तान में जो कोई भी अच्छी से अच्छी किताब लिखेगा उस को मन्जूर कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री मधु लिमये।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस प्रकार की पुस्तकों को छापा क्यों गया है? इन को विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है?

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय, इस तरह नहीं चल सकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि केवल एक क्लास में नहीं, बल्कि सारी क्लासिज़ में जो इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, उस के पीछे जो एक षड्यंत्र है, क्या गृह मंत्री ने उस का पता लगाया है कि छोटे छोटे, अबोध, बालकों के मस्तिष्क में इस तरह का जहर भरने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, वह क्या है और उस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

Mr. Speaker: There are some element$_s$ or forces behind this move because, according to Shri Prakash Vir Shastri, it is not one solitary book but a series of courses in all classes that are being taught in Kashmir. The question is whether the Government has made any enquiry, whether really—(*Interruption*)—order, order; they do not allow me to proceed. I was trying to just reproduce what had been demanded by the Members.

Shri Sham Lal Saraf: On a point of clarification.

श्री नन्दा : ये किताबें 1948 में तैयार हुईं। जो भी फोर्सिज का सवाल होगा वह उस वक्त के सम्बन्ध में होगा। अभी जो फोर्सिज काम कर रही हैं, वे यह हैं कि इन सब किताबों को हटा दिया जाये और नई अच्छी किताबें बनाई जायें

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो दुरुस्त है और हाउस ने इस को सुन लिया है कि ये किताबें 1948 में तैयार हुईं। अगर हाउस एक्साइटिड और एजिटेटिड फील करता है, तो इस लिए कि जब से इंडिपेंडेंस आई है, तब से यह क्यों नहीं देखा गया है कि ऐसी किताबें बदस्तूर चल रही हैं, जिन का असर बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ेगा और क्या होम मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट ने इन बातों पर पहले ध्यान नहीं दिया। श्री शास्त्री यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बात की तरफ कोई ध्यान दिया गया है कि आया ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं, जो खास तौर से इतने पावरफुल हैं कि बावजूद इन सब बातों के ये किताबें और यह सब शिक्षा बच्चों में चलती रही है।

श्री नन्दा : इस वक्त जम्मू काश्मीर में जो गवर्नमेंट है, जब उस का ध्यान इस तरफ दिलाया गया, तो उसने उस से पहले भी इस बारे में कमेटी मुकर्रर की और इस लिए आज कोई ऐसा सवाल नहीं उठता है कि कोई इस बात को रोक रहा है। वे तो खुद इस को साफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उस से पहले जो कुछ हुआ है, वह हो सकता है।

Mr. Speaker: When so many Member$_s$ speak, nothing will be recorded. If they allow me to regulate the proceedings, I would not allow these things to go in. All will sit down. Acharya Kripalani.

Shri J. B. Kripalani (Amroha): May I suggest to the Home Minister to gracefully admit that they have been negligent in this respect?

Shri Sham Lal Saraf: On a point of order.

Mr. Speaker: I am going to him. There are so many points of order. Shri Hem Barua.

Shri Hem Barua (Gauhati): Just now the hon. Home Minister said that the Chief Minister of Jammu and Kashmir had appointed a committee of

revision to review these text-books, and this Committee has come to the conclusion that certain portions are to be omitted. Any book that is prescribed as a text-book in a school has to pass through the Text-book Committee and the Text-book Committee of the Jammu and Kashmir State is presided over by the Chief Minister of that State: whoever he might be, whether he was Bakshi Ghulam Mohammad or Sadiq. When a book is prescribed as a text-book by the Text-book Committee over which the Chief Minister presides, and that book is prescribed as a text-book under his very nose, and that book proves to be anti-national, why is it that our Government has not enquired from the Chief Minister directly that he is inciting anti-national things?

Mr. Speaker: It is not a point of order that I can answer. Let me hear the other points of order.

Shri Sham Lal Saraf: Sir, I find that some facts have not been correctly stated by both sides. If you will kindly permit me, I would like to point out that as far as the printing and publishing of *Naya Kashmir Mansuba*, as it was called, is concerned, it was an unofficial document and later, I will tell you frankly, when Shri Abdullah was the Chief Minister he got this printed—personally I would have never liked it—and got it included as a text-book in 1948. Then for some time it did not appear. Later on these things have appeared in a number of forms. The name of one gentleman has been mentioned. Shri Bhim Singh, Advocate, when he pointed out these mistakes on the part of the Government—grave mistakes—they did not pay him any attention, they rather put him behind bars for eight months. I do not hold Shri Sadiq solely responsible for this. My fear is that there is some infiltration now, may be it was there a little earlier, and that is how these things are coming out. I would strongly urge upon the Home Minister to have a thorough probe into this whole affairs and find out how these things are allowed to happen.

Shri P. K. Deo (Kalahandi) Sir, the Home Minister stated that new text-books are under print. Will he give an assurance that these books which contain objectionable matters would be proscribed forthwith?

श्री रामसेवक यादव (बारांबकी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सारे प्रश्न उठ र हैं मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय जो उस का सही उत्तर होना चाहिये वह नहीं दे रहे हैं। प्रश्न तो यह है कि जो किताब अब चल रही है 66 में इसको कब वापस लेने का निर्णय हुआ था ? अगर सीधे इसी प्रश्न का उत्तर देते तो यह जो सारी अव्यवस्था उठ रही है, वह न उठती। मैं आपसे यह चाहूंगा कि जो मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इस का फैसला लिया गया कि कोई कमेटी बन रही है और वह इस बात को देख रही है, क्या यह सारी चीजें संगत लगती हैं या असंगत हैं ? असल में प्रश्न तो यह है कि कब फैसला हुआ इस को निकालने का और वह अब तक कैसे चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब उन्होंने दिया कि उन्होंने फैसला किया है कि अगले एडीशन में जो अब छप रहा है उस में यह नहीं होगा। . . . (**व्यवधान**)

श्री नन्दा : छः महीने से ज्यादा हो गया कि जब यह कमेटी बनी थी . . . .

श्री मधु लिमये : आप साफ जवाब दीजिये।

श्री नन्दा : उन्होंने एक कमेटी बनायी रिवाइज करने के लिए।

Mr. Speaker: Hon. Members want to know whether there is a date, which the hon. Minister can give, when this decision has been taken not to continue this book as a course for study?

श्री नन्दा : यह जो डेसीशन लिया गया है मेरे पास 28 फरवरी का चीफ सेक्रेटरी का लैटर है। उसमें यह मेंशन किया गया है कि यह अब जो भी किताबें बनेंगी उसमें यह बिलकुल नहीं होगा। बिलकुल नयी किताबें बन रही हैं। . . . (व्यवधान)

Mr. Speaker: Order, order, So far many points of order have been raised, but there was none that could be called a point of order. We should not spend time in these "points of orders" we should really go to the real substance of the matter we want to take up.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): He has only confused us. Even when you put the question to him he has not clarified the position whether from the date of the letter that he received from the Chief Secretary—28th February—this has been withdrawn from the list or whether it was done only after receiving this Calling Attention Notice. Let him clarify the position.

An. hon. Member: Has it been withdrawn at all?

Mr. Speaker: As far as I have been able to understand the hon. Home Minister—he may correct me if I am wrong—said that he received a letter dated 28th February, 1966 in which this fact is mentioned that in future this will not be there. If this is mentioned in the letter dated 28th February, then it must have been done earlier than that.

Shri Surendranath Dwivedy: Has it been withdrawn?

Mr. Speaker: The question that hon. Members want to ask is whether, even though this fact is mentioned in that letter, in practice these books have been withdrawn or not.

Shri Nanda: I may first state that we must appreciate the fact that the Chief Minister has himself....

Shri Tyagi (Dehra Dun): Have these books been withdrawn or not? Why not reply that question? Why is he avoiding it (*Interruptions*)?

Mr. Speaker: Order, order. One thing I should make very clear to hon. Members. Hon. Members should proceed with some patience. Hon. Members would realise that I am trying to help them. I am feeling as much concerned as they are, but they should just have some patience.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): He is concealing facts.

Shri Tyagi: Some hon. Members have certain sentiments. You should keep some margin for patriotic sentiments. The House is anxious to know whether actually these books have been withdrawn or not.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): Let him say 'yes' or 'no'.

Shri Nanda: It has not been withdrawn . . . (*Interruptions*).**

Mr. Speaker: Nothing need be recorded. Order, order. All the Members shall sit down. Order, order. So far it has become clear that the chapter was deleted, the book has not been withdrawn.

Shri Nanda: I have said that it has not been withdrawn, but it should be withdrawn and we are asking the State Government to do that (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. The Minister promises that it would be withdrawn, and now he is going to direct the Government to do that . . . (*Interruptions*).** If hon. Members start speaking in this manner it need not be recorded.

अब आप बैठ जाइए। देखिए मैं मेम्बर साहबान से यह अर्ज करूंगा कि मेरे लिए मजबूरी हो जाती है कि जब बहुत से मेम्बर बोलते हैं तो मैं कहता हूं कि रेकार्ड में न लिखा जाय।

**Not recorded.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, यह भावना का सवाल है। आखिरकार हम लोगों को दबाने के लिए डंडा है, गोली है और यह देशद्रोह इतने दिन से पनप रहा है,...

अध्यक्ष महोदय : हां ठीक है। मैं इसी लिए तो कह रहा हूं कि इससे जो मतलब होता है वह खत्म हो जाता है। एक तो यह है कि प्रेस वालों को पता नहीं लगता है कि हमने कौन सा पोर्शन लिखा, कौन सा नहीं। पहले भी ऐसा हुआ कि जिसकी मैंने यहां इजाजत नहीं दी वह प्रेस में छप गया। एक तो यह गलती हो जाती है। दूसरे यह कि जो एक्साइटमेंट होता है जिसको एग्जिबिट करना चाहते हैं वह बाहर नहीं जाता क्योंकि मैं कहता हूं कि जो बहुत से साथ बोलते हैं वह न लिखा जाय। तो वह रेकार्ड में नहीं जाता। उससे बाद में रेकार्ड ठीक नहीं रहता और जो काम होता है आपके एक्साइटमेंट का और एजीटेशन का, वह वहां नहीं जाता। दोनों बातें वहां नहीं जाती हैं। अगर एक एक करके मेम्बर बोलें तो वह सारी चीजें आ जायें और करेक्ट चीज हो।

अब हाउस का मतलब है कि जो दोषी हो उसको सजा दी जाय।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अब तक सजा क्यों नहीं दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप जो बाकी सवाल पूछेगें, उसके लिये बुलाऊंगा।

श्री अशोक सेन। (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट से आये हैं ? आज किसकी वकालत करने आये हो। (व्यवधान)

हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, आपने इनको बोलने का मौका दे दिया। हमको आपने मौका नहीं दिया, मैं एक अर्से से खड़ा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो दफ़ा आपको बुलाया है।

श्री मधु लिमये : सदन में शोर है, मैं कैसे प्रश्न कर सकूं ?

Shri R. S. Pandey (Guna): Sir, it is wrong on the part of the hon. Member, Shri Madhu Limaye to put a direct question to the hon. Member, Shri A. K. Sen. He had no business to behave in this manner.

An hon. Member: Shut up.

Shri R. S. Pandey: Sir, he should withdraw those words. He has no right to say "shut up".

Mr. Speaker: Order order. I have called Shri A. K. Sen.

Shri A. K. Sen (Calcutta North West): Mr. Speaker, Sir, what concerns the House most deeply is not so much a few stray extracts which have appeared in print but the revolutionary state of affairs which makes it possible that such objectionable articles are not only printed, published and circulated but they are made textbooks. In fact, I was shocked to see some of them last May. Even last week I was shown some of the extracts. I suppose the Home Minister would be pleased to assure the House that not only will this be deleted but it will be proscribed immediately.

Shri S. M. Banerjee: Sir, I rise on a point of order.

Mr. Speaker: What is the point of order?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अशोक सेन साहब प्वाइन्ट आफ़ आर्डर पर बोल रहे थे या भाषण कर रहे थे या इनका नाम इस नोटिस पर था ? क्या सब नियमावली इस तरफ़ के सदस्यों के लिये ही है, या इनके लिये भी कोई नियम हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा अफ़सोस है कि इस तरह से मेरे ऊपर रिफलैक्शन किया जाता है।

श्री मधु लिमये : आप पर नहीं कह रहा हूं। इन पर कह रहा हूं, आप से तो पूछ रहा हूं।

श्री मुत्याल राव (महबूबनगर) : मैं भी बहुत देर से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले इनको बोलने दीजिये।

Shri S. M. Banerjee: My point of order is this. It is a very pertinent question regarding a text-book which, according to the hon. Members of the House, contains objectionable matter. Questions after questions were put to the Home Minister, enquiring whether these books have been withdrawn. Even though four or five questions were asked, he concealed the information and evaded all the questions. Now, my point of order is this, and on this, Sir, I would like you to give a ruling. Is it open to the Minister, including the Home Minister, the Almighty Home Minister, to evade answering questions when questions are put directly and can he mislead and bamboozle the House when a question is asked whether the books have been withdrawn? Sir, you yourself put this question twice and he never gave any direct answer. It is only when the whole House rose like one man and put this question that he came out with the answer that it will be withdrawn, and that too at the instance of the Prime Minister or Shri Satya Narayan Sinha. So, he has deliberately confused this House and mislead this House. If the books have not been withdrawn, at least let him withdraw from the House for the day.

श्री मधु लिमये : प्रधान मंत्री ने जोर दिया कि बोलो, तब इन्होंने जवाब दिया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय क्या इस पर कोई फ़ैसला दे रहे हैं, क्या इनको निकाल रहे हैं?

Mr. Speaker: It is neither correct nor proper for any Minister to conceal any fact from the House; nor is he permitted to mislead the House.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Sir, on a point of order.

श्री मधु लिमये : कल अपनी संख्या बल के आधार पर हमारे अविश्वास के प्रस्ताव को इन लोगों ने गिरा दिया। आज कार्य-सूची में नन्दा साहब के नाम पर एक विधेयक है जिसके उद्देश्यों में यह बताया गया है– मैं एक वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : इस का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री मधु लिमये : सम्बन्ध है। यह बिलकुल सम्बन्धित है, इसके बिना यह सप्लीमेन्ट्री हो ही नहीं सकता।

" a draft Bill entitled the Unlawful Activities (Prevention) Bill was prepared to deal with individuals and associations engaged in secessionist and other activities directed against the integrity and sovereignty of the Union."

आगे

"With this decision, the necessity to have a law to deal with secessionist and other activities directed against the integrity and sovereignty of the Union became urgent."

यह विधेयक आ रहा है। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी निति कितनी हास्यास्पद है, कितनी विसंगति, कितन विरोधाभास इसमें है। एक और काश्मीर सरकार है, उसका शिक्षा निदेशक, डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन, ऐसी किताबें छाप रहा है, जिसमें खुल्लमखुल्ला विद्रोह है, सिसेशन है, देशतोड़ सिद्धान्त है और दूसरी तरफ़ हम लोगों को दबाने के लिये यह विधेयक लाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास अधिकार नहीं थे इसलिये

अब तक इन बातों को इन्होंने नहीं दबाया या इन्होंने लापरवाही के कारण अपनी छत्र-छाया में इनको पनपने दिया है, चलने दिया है। मैं इसका जवाब चाहता हूं और प्रधान मंत्री से कहे देता हूं कि पाप का क्षालन करने के लिये कम से कम इस विधेयक को वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय : यह अलेहदा चीज है।

श्री मधु लिमये : नहीं, इसी से सम्बन्धित है। अच्छा यह उस वक्त विधेयक के समय पूछूंगा।

श्री नन्दा : मैंने इसकी विदड्राअल के बारे में साफ़ कहा है कि विदड्रा नहीं हुई है। जब तक मैं आगे कहता मुझे सुनने की कोशिश नहीं की गई। अब भी वही बात कहे देता हूं कि दूसरी जो किताबें छपेंगी, वे नये सिलेबस के मुताबिक छपेंगी। इसलिये इसमें कन्सीलिंग का कोई सवाल ही नहीं है। सिसेशन का कोई सवाल इसके अन्दर नहीं आता है।

श्री मधु लिमये : नहीं, आता है, इन किताबों में है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात जो इतने अर्से तक रही इसकी क्या वजह थी, क्या गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं थीं कि वह स्टेट को डाइरेक्शन दे सके।

श्री महावीर त्यागी : या गवर्नमेन्ट को इत्तिला नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : या गवर्नमेन्ट को इस बात की इत्तिला नहीं थी और इसमें उनकी इगनोरेन्स थी कि जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री नन्दा : एजूकेशन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री इस बारे में इन्टरेस्ट ले रहीं थी और उन्होंने ....

श्री हुकम चन्द कछवाय : दूसरे पर इसको मत डालिये।

श्री नन्दा : उन्होंने स्टेट के साथ इस बारे में कम्यूनिकेट किया उनके जवाब पर एक्शन लिया है। दो-एक दफ़ा मैं भी वहां गया तो मैंने भी उनका ध्यान दिलाया है।

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का ये जवाब साफ़ नहीं दे रहे हैं। आपने हमारे प्रश्न के आधार पर यह प्रश्न पूछा कि क्या सरकार के पास अधिकार नहीं था, यानी केन्द्र सरकार को इस बारे में निर्देश देने का अधिकार नहीं था या इनको इत्तिला नहीं थी। अगर इत्तिला नहीं थी तो इसका मतलब है कि नन्दा साहब का जासूसी विभाग, जो "आल इण्डिया कान्स्पीरेसी की बात करते हैं विरोधी दलों के बारे में" इन को पता नहीं कि इनकी सरकार की छत्र-छाया में क्या विद्रोह चल रहा है। इसका जवाब दिलवाइये, उसके बाद अगला सवाल होगा। क्या इनको अधिकार नहीं था, या इत्तिला नहीं थी? अगर इत्तिला नहीं थी तो इनका जासूसी विभाग क्या कर रहा था, इसका जवाब आना चाहिये?

श्री नन्दा : जब से यह मामला उनके सामने लाया गया, वह स्टेप्स लेते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ... (**व्यवधान**) इस किताब में से जो चाइनीज रेफ़ेन्सेज थे, वे सब निकाल दिये गये हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : ये इस विषय को ज्यादा उलझा रहे हैं।

13.00 hrs.

Dr. L. M. Singhvi: The short question that remains unanswered and which perhaps is agitating the minds of Members of the House is whether, apart from proscription and withdrawal of books, any probe will be instituted by the Government to find out and fix responsibility and to find out whether there is any presence of infiltrators. This question remains un-

[Dr. L. M. Singhvi]

answered and this is what is being asked again and again. Why is this not being answered? We must be given an answer to this.

Mr. Speaker: What is the point of order?

Dr. L. M. Singhvi: The point of order is that this question has been raised again and again and is not being answered:

Shri Nanda: I am answering it. Along with other things the book will be withdrawn; certainly, it has to be done. As to all that has happened, whosoever has been responsible for it, certainly we have to look into all that question . . . (*Interruption*).

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आप अपनी रूलिंग दे दीजिये, निर्णय दीजिये, मैं बैठ जाता हूं। मेरा जो प्रश्न है वह वैध है, नियमानुसार है और इत्तला लेने के लिये पूछा गया है। क्या उसका जवाब नहीं आयेगा। आप यह कह दीजिये कि नहीं आयेगा, मैं बैठ जाऊंगा।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) मैंने माननीय सदस्य का सवाल सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है कि मैं फैसला दूं कि जो सवाल मैंने किया था आया उसका पूरा जवाब आ गया है। अगर आ गया है तो वह कहते हैं कि वह बैठ जायेंगे, और अगर नहीं आया है तो उनको जवाब दिलवाया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि अभी डा० सिंघवी जी ने कहा . . .

श्री मधु लिमये : बात इस वक्त मेरी है, सिंघवी जी की नहीं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : उन्होंने प्रोब की बात पूछी थी। मैं इस मामले में जरूर जांच करवाऊंगी। . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब इसको यहीं रहने दीजिये। वह कहती हैं कि गवर्नमेन्ट जांच करवायेगी।

श्री मधु लिमये : मेरा सवाल ही नहीं है जांच के बारे में।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Arising out of your question to the Minister which he failed to answer—your question, as far as I understood it, was if the Government have some powers or not to ask the State Government to take some action—under article 353, clause (2), the Government is empowered to issue directives to every State Government in an emergency. Since 1962 the emergency has been in force. Why did they not direct them under that article which empowers them to so direct? Why should he not answer your question?

Shri Nanda: The instruction that has been given is followed. There is no question of giving any direction under any article or any particular provision. Whatever we have told them and brought to their notice, they have done that.

Shri Shinkre (Marmagoa): On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: The proceedings should not be obstructed in this manner. All the points of order that have been raised . . .

Shri Shinkre: I have got a point of order and you must listen to me. The Home Minister himself admitted that he received a letter dated the 28th February, 1966, regarding these textbooks. He has also admitted that so far he has not directed the State Government to withdraw these books; he is only directing now. I want to know

from you whether this does not amount to gross dereliction of duty on his part as Home Minister of this country.

Mr. Speker: I am not concerned with that.

Shri Shinkre: If that is so, should he not withdraw from the Cabinet?

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : हमने प्राचीन राजनीति में पढ़ा है कि राजाओं के आंखें नहीं होती। केवल जो राजदूत होते हैं उनके आंखें होती हैं, जिनको आप जासूस कह सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका राजदूत विभाग है उसने आपको सूचना दी ही नहीं या कि सूचना दी थी लेकिन चूंकि वहां पर मुसलिम बहुल सरकार है और उस पर दूसरे प्रकार का प्रभाव पड़ता इसलिये आपने गुप्तचर विभाग की सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब आप छोटे से छोटे अपराध पर प्रत्येक व्यक्ति को दंड दे सकते हैं तो जो राजद्रोह करते हैं गृह मंत्री जी को उन को दंड देना चाहिये या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी जवाब दें। . . (व्यवधान) . . जो उन की एजेन्सी थी उसने उनको इतनी देर तक इत्तला क्यों नहीं दी।

Shri Nanda: I have received reports from my agency also.

श्री रामेश्वरानन्द : फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय : जो जवाब वह दे सकते थे वह उन्होंने दे दिया।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने यह भी पूछा था कि अगर सूचना मिली थी तो क्या कारण थे कि इसके लिए आपने कार्रवाई नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : यह जवाब पहले दिया जा चुका है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह इतना छोटा मामला नहीं है। भारत का करोड़ों रुपया उस के ऊपर खर्च हो रहा है। हमारे सारे डिफेन्स का मामला इसके ऊपर टिका हुआ है। ऐसी दशा में जो अन्तर्राष्ट्रीय अड्डे हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय हलचलें हो रही हैं उन सब का कारण इस प्रकार की पुस्तकें हैं। अध्यक्ष महोदय आपसे यह कहा गया कि शिक्षा मंत्री को पता था। शिक्षा मंत्री जी को पता रहा या नहीं, लेकिन मुझे आपसे कहना है कि आप साहस करके जो इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही तत्व हैं और काश्मीर को भारत से दूर फेंकना चाहते हैं, और काश्मीर में रहते हैं, उन को जबर्दस्ती कुचल डालिये वर्ना यह भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जायेंगे।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, अभी हाउस में जो इतना एजिटेशन हुआ है उसका कारण केवल यह है कि काश्मीर में इस प्रकार की स्थिति है कि वहां पर काश्मीर को हिन्दुस्तान से बाहर निकालने का षड़यन्त्र चल रहा है और यह किताब इस का प्रतीक है। 28 फरवरी को आपको इत्तिला मिली थी और उसके बाद आपके पास लेटर आया था, इस लिये इस किताब को सिर्फ विघड्रा करना है, इतना ही नहीं, इस को प्रोस्क्राइब करने के लिये आपने कदम क्यों नहीं उठाया। जितनी भी किताबें इस प्रकार की छपी हैं उनको आपको जब्त करना चाहिये था।

श्री नन्दा : मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री बड़े : क्या जवाब है।

श्री नन्दा : मैं ने कहा है कि डिलीट करने की बात हुई है, लेकिन उसके विघड्राल की बात नहीं हुई। मैंने यह भी कहा कि विघड्राल के लिए कह दिया जायेगा।

श्री बड़े : मैंने प्रोस्क्राइब करने के बारे में पूछा है ।

श्री रामेश्वरानन्द : इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं और कुछ नहीं कह सकता । इससे आपका नुकसान होता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारे सवाल का उत्तर आना चाहिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : वह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं । ..... (व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारे सवाल का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : जो भी उत्तर देना था वह उन्होंने दिया है । अगर वह नाकाफी है तो मेम्बर साहबान और किसी तरह से इसको लें । मैं और कुछ नहीं कर सकता ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारी बात का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय अब बैठ जायें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपने सुना नहीं क्या उत्तर दिया .....

अध्यक्ष महोदय : यह न लिखा जाये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : **

श्री बड़े : मैं आपसे कहता हूं कि हम केवल यह चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो । आप स्पीकर की जगह बैठे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं अन्याय कर रहा हूं आपको यह शिकायत है; तो इसकी बाबत और तरीके हैं ।

Shri Bade: Shri Sen also put the same question; I am also putting the same question.

Mr. Speaker: There ought to be some limit now. That is enough.

श्री बड़े : हम ऐसा चाहते हैं कि कम से कम .....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री बड़े : इस तरह से मैं क्यों बैठूं ...

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं क्यों बैठूं ।

श्री बड़े : मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन काश्मीर पर यहां सवाल हो रहा है, इतना एजिटेशन हो रहा है, तब भी आप उनको शेल्टर कर रहे हैं । ... वह यहां पर हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो भी मेम्बर उठता है वह मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है .....

श्री बड़े : मैं आपको नहीं कहता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : और क्या करते हैं । आप कहते हैं कि मैं शेल्टर करता हूं । क्या आपने नहीं कहा है कि मैं शेल्टर कर रहा हूं ।

श्री बड़े : मैं शेल्टर नहीं कह रहा हूं ...

अध्यक्ष महोदय : कैसे नहीं कहा कि शेल्टर कर रहा हूं । यों ही आप लफ्ज निकाल देते हैं .....

श्री बड़े : एफेक्ट यह होगा अगर जवाब नहीं आयेगा ।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा अफसोस है कि आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी से काम नहीं लेते । जो कुछ मैं कर सकता था, मैं ने किया । सवाल भी किया, मेम्बर साहबान का काज भी लिया, फिर भी आप कहते हैं कि मैं शेल्टर करता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : आप पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जवाब दिलवाइये, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : अब जो बोलें वह न लिखा जाए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : * *

श्री बड़े : * * * मैं कभी जवाबदारी छोड़ कर नहीं बोलता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : यह बात गलत है कि आप कभी नहीं बोलते हैं : जब आप बोलने लगते हैं तो आप बोलते चले जाते हैं और इसके बारे में मैं पहले भी गिला कर चुका हूं । आप नहीं बोलते हैं कभी मेरी इजाजत के बगैर, यह आप न कहें ।

श्री बड़े : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस किताब को वह प्रोसक्राइब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं .....

Shri Kapur Singh (Ludhiana): I beg to say that you have been most helpful by intervening on our behalf in getting for this House an assurance from the Home Minister that a certain text-book or a certain portion out of that text-book will be withdrawn.

As you will remember, the grievance of this side of the House is not only in respect of a particular text-book or in respect of a particular passage but in respect of a whole series of text-books and the tenor and the type of teachings which are imparted through these text-books. In particular, I wish to refer to a certain matter which is referred in the text-book and which relates to the Sikhs—most of my voters. In one of these text-books, it has been made out that in the beginning of the 19th century, when the Sikhs annexed Kashmir with India, before that it was a portion of a foreign Abdali Empire, then the Sikhs committed an act of aggression and on that account Maharaja Ranjit Singh, in particular, and his General Hari Singh Nalwa were tyrants and aggressors.

Sir, I want to know whether the assurance which the Home Minister has given also covers this portion and this text-book.

Mr. Speaker: This cannot be a point of order.

Shri Nanda: The whole series of text-books will be dealt with in this way.

13.14 hrs.

QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE

Mr. Speaker: The Finance Minister may make a statement regarding the question of breach of privilege raised by Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने उस दिन स्टेटमेंट कर दिया हैं ।

***Not recorded.